संख्या : 78/2015/1427(2)/छप्पन-2015-7/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2015**

विषय : राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0 पी0 पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 जी0पी0 सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 02-10-2015 से दिनांक 03-11-2015 तक मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में सिमुलेटर पर पायलट इन कमाण्ड ट्रेनिंग (प्रोलाइन-21) तथा प्रोफिसियन्सी चेक ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 491/ना0उ0वि0उ0प्र0/आप्स-19/2015, दिनांक 07 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 पर मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में कै0 जी0पी0 सिंह को सिमुलेटर पर पायलट इन कमाण्ड ट्रेनिंग (प्रोलाइन-21) तथा प्रोफिसियन्सी चेक ट्रेनिंग कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क 29500 यू0एस0 डॉलर का अग्रिम भुगतान प्रशिक्षणदाता फर्म को किया जाना है। अत: राज्यपाल महोदय विदेश यात्रा व्यय एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रूपये 68/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) जो भारतीय मुद्रा में रूपये 25,30,300/- (रूपये पच्चीस लाख तीस हजार तीन सौ मात्र) होता है, के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते है।

2- राज्यपाल महोदय उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 25,30,300/- (रूपये पच्चीस लाख तीस हजार तीन सौ मात्र) में से 29500-00 यू0एस0 डालर जो भारतीय मुद्रा में रूपये 68/- प्रति यू0एस0 डालर के विनिमय दर से रूपये 20,06,000/- (रूपये बीस लाख छ: हजार मात्र) होता है, को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं। अवशेष धनराशि रूपये 5,24,300/- (रूपये पॉच लाख चौबीस हजार तीन सौ मात्र) का अग्रिम आहरण यात्रा व्यय के रूप में किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि रूपये 25,30,300/- (रूपये पच्चीस लाख तीस हजार तीन सौ मात्र) का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- उक्त इंगित विदेश यात्रा में जाने से पूर्व नियमानुसार बन्धक पत्र यथानियम निष्पादित कराये जाने के उपरान्त उक्त स्वीकृत धनराशि का अग्रिम आहरण किया जाय।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रश्नगत प्रशिक्षण के उपरान्त वायुयान किराया, वीजा शुल्क लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि से सम्बन्धित व्यय का विवरण (मूल बिल बाउचर के साथ) 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

6- मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जायेगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय तथा अग्रिम के समायोजन के समय जमा धनराशि आहरित कर कोषागार में जमा कर दी जाय।

7- उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि में से नियमानुसार लोकल यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता तथा होटल किराया आदि के भुगतान तत्समय के विनिमय दर से करने के पश्चात यात्रा बीजक में अग्रिम का समायोजन करते समय यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अग्रिम आहरण/समायोजन से तत्काल शासन को अवगत कराया जाय।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : एफ0ए0-1-302/दस-2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 78/2015/1427(3)/छप्पन-2015 तददिनांक ।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in